मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3177
7 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभ

3177. श्री बंटी विवेक साहूः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना और स्लम पुनर्विकास योजना में जून, 2025 तक विभिन्न श्रेणियों को प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जून, 2025 तक देश भर में राज्य-वार और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की संख्या कितनी है और इस योजना की प्रगति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने छिंदवाड़ा शहर में शहरी गरीबों और कम आय वाले व्यक्तियों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने को विशेष प्राथमिकता दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में अब तक क्या कार्य किए गए हैं और आगामी प्रस्ताव क्या हैं; और

(ङ) क्या इस जनजातीय क्षेत्र में भारिया आदि जैसी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए किसी विशेष प्रावधान पर विचार किया जाना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवास**न** और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश सहित देश भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन कार्य प्रणाली में बिना बदलाव किए इस योजना को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में देश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों, अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 मांग आधारित योजनाएँ हैं और इनके लिए कोई राज्य/शहर-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं। लाभार्थियों द्वारा वांछित विभिन्न घटकों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावों को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, **तत्पश्चात** केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा आगे केंद्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है।

अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर **इस** मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 7.09 लाख **आवासों** सहित कुल 119.26 लाख आवासों **को** स्वीकृति दी गई है। 14.07.2025 तक देश भर में इनमें से 112.81 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और 93.61 लाख आवास बनकर तैयार हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित देश भर में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किये जा चुके कुल आवासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले के लिए अब तक कुल 28,448 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 26,466 (93%) आवास पूरे किये जा चुके हैं/लाभार्थियों को **सौंपे** जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत विधवा महिलाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और भारिया जैसी जनजातियों सहित समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

*****

दिनांक 07.08.2025 के लोक सभा प्रश्न संख्या 3177 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए जा चुके आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों का विवरण (संख्या)		
			स्वीकृत आवास	निर्माणाधीन आवास	पुरे किए गए आवास
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,47,297	18,26,698	10,78,686
2		बिहार	4,45,212	2,96,469	1,89,863
3		छत्तीसगढ	2,99,922	2,85,392	2,57,171
4		गोवा	3,146	3,146	3,145
5		गुजरात	9,93,877	9,72,208	9,41,419
6		हरियाणा	1,30,290	90,636	70,522
7		हिमाचल प्रदेश	12,640	12,640	11,381
8		झारखंड	2,43,421	2,10,640	1,59,751
9		कर्नाटक	5,84,086	5,08,586	3,94,054
10		केरल	1,61,957	1,55,162	1,34,127
11		मध्य प्रदेश	9,66,133	9,45,487	8,68,097
12		महाराष्ट्र	12,49,047	11,49,437	9,93,361
13		ओडिशा	2,15,339	1,85,963	1,64,880
14		पंजाब	1,33,270	1,18,475	97,920
15		राजस्थान	3,33,815	2,94,639	2,34,698
16		तमिलनाडु	6,70,425	6,69,514	6,07,051
17		तेलंगाना	3,61,755	2,35,023	2,23,627
18		उत्तर प्रदेश	19,75,035	17,59,770	17,02,317
19		उत्तराखंड	63,605	62,793	42,966
20		पश्चिम बंगाल	6,15,105	6,05,971	4,65,561
उप-योग (राज्य)			**1,14,05,377**	**1,03,88,649**	**86,40,597**
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	13,379	8,739	8,068
22		असम	1,84,991	1,69,101	1,30,425
23		मणिपुर	52,519	49,593	18,397
24		मेघालय	4,758	4,083	1,995
25		मिजोरम	39,150	39,101	26,596
26		नागालैंड	31,067	31,060	29,029
27		सिक्किम	299	299	219

28		त्रिपुरा	90,989	88,416	78,061
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)			**4,17,152**	**3,90,392**	**2,92,790**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	376	376	80
30		चंडीगढ़	1,256	1,256	1,256
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9,947	9,947	9,450
32		दिल्ली	29,976	29,976	29,976
33		जम्मू और कश्मीर	43,856	42,159	32,091
34		लद्दाख	1,283	991	882
35		लक्षद्वीप	-	-	-
36		पुदुचेरी	16,442	16,050	11,377
उप-योग (संघ राज्य क्षेत्र)			**1,03,136**	**1,00,755**	**85,112**
कुल			**119.26 लाख**	**112.81 लाख***	**93.61 लाख***

*इसमें पूर्ववर्ती योजना से संबंधित पीएमएवाई-यू मिशन अवधि के दौरान निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवास क्रमशः 4.01 लाख और 3.41 लाख आवास शामिल हैं।